

प्रेषक,

विनय शंकर पाण्डेय  
अपर सचिव, राज्य सम्पत्ति अधिकारी,  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

उप सचिव/वरिष्ठ वित्त अधिकारी,  
इरला चैक,  
उत्तराखण्ड शासन।

राज्य सम्पत्ति अनुभाग-2

देहरादून: दिनांक // जुलाई, 2016

विषय: मा0 मंत्रीगणों के उपयोगार्थ इनोवा वाहन क्रय किये जाने हेतु वर्ष 2016-17 में वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मा0 मंत्रीगणों के उपयोगार्थ चालू वित्तीय वर्ष 2016-2017 में 02 नग- इनोवा वाहन क्रय किये जाने के निमित्त निम्न विवरणानुसार ₹ 28,35,414.00 ( ₹ अठ्ठाईस लाख पैतीस हजार चार सौ चौदह मात्र ) का भुगतान शासनादेश संख्या-36/XXXI(12)/बजट अनु0-4-2016-17, दिनांक 12, मई, 2016, अलोटमेंट आई डी-H16050301137, आबंटन पत्र दिनांक 11, मई, 2016 द्वारा वरिष्ठ वित्त अधिकारी, उत्तराखण्ड शासन के निर्वर्तन में संगत मद में उपलब्ध धनराशि के अनुसार व्यय किये जाने की महामहोम श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

क्र०सं०	वाहन (मेक/टाइप)	संख्या	कुल धनराशि (₹ में)
1	INNOVA-7 QK (7 Seater)Gx White color	02	28,35,414.00

- 2- उक्त वाहन का क्रय संलग्न प्रोफार्मा इन्वाइस के आधार पर बाजार मूल्य पर किया जायेगा।
- 3- वाहन के क्रय में निर्धारित प्रक्रिया/नियमों का पालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा व्यापार कर में शासकीय वाहनों के क्रय हेतु अनुमन्य छूट का उपयोग इस हेतु निर्धारित फार्म-डी भर के किया जायेगा।
- 4- उक्त स्वीकृत धनराशि ₹ 28,35,414.00 ( ₹ अठ्ठाईस लाख पैतीस हजार चार सौ चौदह मात्र ) का भुगतान उपर्युक्त विवरणानुसार ड्राफ्ट/चैक अग्रिम के रूप में M/S UTTARANCHAL AUTOMOBILES PVT.LTD, MOHABEWALA, SAHARANPUR ROAD, DEHRADUN के पक्ष में प्रोफार्मा इन्वाइस के सापेक्ष बनाते हुये सम्बन्धित फर्म को भुगतान हेतु मुख्य व्यवस्थाधिकारी, राज्य सम्पत्ति विभाग के माध्यम से उपलब्ध कराया जायेगा। तदनुसार नया वाहन उपलब्ध हो जाने की दशा में मुख्य व्यवस्थाधिकारी, राज्य सम्पत्ति विभाग उक्त वाहन का रिकॉर्ड अपने पास सुरक्षित रखेंगे।
- 5- स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका, बजट मैनुअल में उल्लिखित नियमों/निर्देशों के अनुसार किया जाये तथा व्यय उन्हीं मदों पर किया जायेगा, जिसके लिये यह स्वीकृत किया जा रहा है।
- 6- इस सम्बन्ध में होने वाला चालू वर्ष 2016-17 के मुख्य बजट की अनुदान संख्या-03 के अर्न्तगत लेखाशीर्षक-2013-मंत्रिपरिषद-00-आयोजनेत्तर-800-अन्य व्यय-03 मंत्रियों एवं उप मंत्रियों के प्रकीर्ण व्यय-14-कार्यालय प्रयोगार्थ स्टाफ कारों/मोटर गाड़ियों का क्रय के नामे डाला जायेगा।
- 7- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-70NP/xxvii(05)/16-17 दि011.07.16 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

( विनय शंकर पाण्डेय )

अपर सचिव/राज्य सम्पत्ति अधिकारी।

सं०-742/xxxii(2)/2016-01(1)/2010 टी0सी0, तददिनांकित

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, उत्तराखण्ड ओबेराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा, सहारनपुर रोड, देहरादून।
- 2- केन्द्रीयकृत भुगतान एवं लेखा कार्यालय/निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवार्य/निदेशक, लेखा एवं हकदारी, 23 लक्ष्मी रोड, डालनवाला, देहरादून, उत्तराखण्ड।
- 3- अनुसचिव, लेखा अनुभाग/वित्त अनुभाग-5, उत्तराखण्ड शासन/मुख्य व्यवस्थाधिकारी, राज्य सम्पत्ति विभाग।
- 4- M/S UTTARANCHAL AUTOMOBILES PVT.LTD, MOHABEWALA, SAHARANPUR ROAD, DEHRADUN को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उपलब्ध कराये गये प्रफार्मा इन्वाइस के आधार पर इनोवा वाहन यथाशीघ्र उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।
- 5- एन0आई0सी0, देहरादून/गार्ड फाईल।

आज्ञा से,



( एम0एम0 सेमवाल )

संयुक्त सचिव।